"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल 2012—चैत्र 23, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-15/2009/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-10-2009 द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा के निर्माणाधीन पावर प्लांट की चिमनी ढहने की घटना की न्यायिक जांच हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संदीप बख्शी की एकल सदस्यता में जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग के कार्यकाल में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04-01-2012 द्वारा दिनांक 12-04-2012 तक (3 माह) की समय वृद्धि की गई थी. किन्तु, जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाने से राज्य शासन एतद्द्वारा, आयोग के कार्यकाल में अंतिम बार तीन माह अर्थात् दिनांक 13-04-2012 से 12-07-2012 तक की और समय-वृद्धि करता है.

2. उक्त अवधि में आयोग द्वारा अपनी जांच पूरी कर जांच प्रतिवेदन शासन को सौंपा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.